संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

प्रति

श्री
कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश,

विषयः- मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बैंक अतिदेय राशियों की वूसली पर राजस्व अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान की नवीन योजना।

जैसा कि आपको विदित ही है कि मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदेश में बैंक अतिदेय राशियों की वसूली हेतु प्रचलित वर्तमान सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, प्रदेश के 6 चुनिन्दा जिलों (बिलासपुर, जबलपुर, टीकमगढ़, खरगुजा, धार एवं खरगोन) में प्रायोगिक तौर पर राज्य शासन द्वारा वर्ष 1986-87 में पूर्ण कालिक बैंक वसूली इकाईयों का गठन किया गया था। तथा इन विशेष वसूली इकाईयों में कार्यरत राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली करने पर उन्हें एक विनिश्चित मान से प्रोत्साहन राशि के भुगतान की योजना भी स्वीकृत की गई थी।

2/ इन इकाईयों के कार्य की समीक्षा के उपरांत राज्य शासन ने इनको बन्द करने का निर्णय लिया है। तथा मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 के मूल उद्धेश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से :-

(1) प्रदेश के समस्त तहसील स्तर के राजस्व अधिकारियों (तहसील/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को निर्धारित लक्ष्य से अधिक बैक अतिदेय राशि वसूली करने पर विनिश्चित मान से प्रोत्साहन राशि देने, तथा

(2) जिला अनुविभाग तथा तहसील पर वसूली के साधनों में सुधार लाने हेतु राज्य शासन द्वारा ''बैंक बसूली प्रोत्साहन योजना'' स्वीकृत की है, तथा उक्त योजना के क्रियान्वन के लिये राज्य स्तर पर बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (अंग्रेजी में बी.आर.आई.एस.सी. अथवा ''ब्रिस्क'') का गठन किया है। प्रकोष्ठ का कार्य इस संचालनालय को सौंपा गया है।

3/ प्रोत्साहन योजना तथा प्रकोष्ठ के वित्त पोषण की व्यवस्था व्यावसायिक बैंकों के योगदान से की जा रही हैं। योजना में शामिल व्यावसायिक बैंकों की सूची परिशिष्ट में दी गयी हैं। प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल इन्हीं बैंकों की वसूली संबंधित प्रकरणों पर होगा। योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गयी हैं।

4/ यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावशील होगी। इस योजना के लागू होने के फलस्वरूप आर. आर. सी. की वसूली राजस्व अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया से पूर्ववृत की जायेगी, अतः वसूली प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नही हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 की धारा -3 के (1) द्वितीय परन्तुक प्रभावित नही होगा और अशोधी से वसूल की जाने वाली राशि का 3 प्रतिशत पूर्ववत शासकीय कोष में जमा होगा।

5/ योजना के अंतर्गत संबंधित राजस्व अधिकारी हर माह 20 तारीख तक उसके द्वारा पिछले महीने की गई वसूली की जानकारी मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988 के अंतर्गत निर्धारित पत्रक (प्रारूप 9) में कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। इस पत्रक में आर.आर.सी. जारी होने के बाद सभी प्रकार की वसूली की बैंकवार जानकारी शामिल होगी। आर.आर.सी. जारी होने के बाद यदि बकायादार बैंक में राशि जमा कर देता हैं अथवा यदि बकायादार द्वारा बैंक में धन जमा करने की वजह से आर.आर.सी. निरस्त होता है, तो उस राशि को भी राज्य शासन की सहयता से वसूल की गई राशि मानी जायेगी। चूँकि शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि अंततः बैंको से प्राप्त की जा रही है, यह आवश्यक होगा कि-

(1) प्रारूप - 9 के कालम (1) में प्रत्येक बैंक की शाखावार जानकारी दी जावे, तथा
(2) राजस्व अधिकारी द्वारा प्रारूप 9 कलेक्टर को भेजने से पूर्व उसमें सम्मिलित वसूली की जानकारी संबंधित बैंक शाखा प्रवर्धकों से अभिप्रमाणित करायी जावे।

6/ प्राप्त जानकारी के आधार पर कलेक्टर द्वारा महीने के अन्त तक पिछले महीने हर तहसील के अन्दर राजस्व अधिकारीवार और बैंकवार/ब्रांचवार की गई वसूलियों की अभिप्रमाणित जानकारी (अधिनियम के प्रारूप 9 की प्रतिलिपि) संचालक, संस्थागत वित्त को प्रस्तुत की जावेगी। यह जानकारी मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988 के प्रारूप-10 में भेजी जा रही निर्धारित जानकारी के अलावा होगी।

7/ राजस्व अधिकारियों को उनके द्वारा वसूल की गई बकाया बैंक राशियां (जो कि लंबित आर.आर. सी. की वसूली की राशि से नापी जाएगी) का अनुपात का एक प्रतिशत के हिसाब से प्रोत्साहन के रूप में ब्रिस्क द्वारा दिया जाएगा, बशर्ते वसूली की निर्धारित न्यूनतम सीमा रूपये पचास हजार प्रति छः माही, पार की गई हो। प्रोत्साहन राशि सम्पूर्ण वसूली की गयी पात्र राशि के आधार पर देय होगी, न केवल रूपये पचास हजार से अधिक वसूल की गयी राशि पर। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये कोई अधिकतम सीमा नही होगी।कलेक्टर की अनुशंसा पर ब्रिस्क द्वारा यह राशि किसी विशि६ट प्रकरण में घटाई, जा सकेगी या अस्वीकृत की जा सकेगी । सामान्यतः छः माही अवधि। अप्रैल से 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च होगी, लेकिन विशिष्ट प्रकरणों (जैसे छः माही के

बीच में राजस्व अधिकारी की पदस्थापना या भारमुक्ति) में दूसरी अवधि की प्रोत्साहन राशि के लिये मान्यता दी जा सकेगी।

8/ योजना के अंतर्गत दूसरा प्रयोजन (अर्थात जिला, अनुविभाग तथा तहसील स्तर पर वसूली के साधनों का सुधार) बाबत पृथक से मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जावेंगे। इस संबंध में आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित है। यदि आप इस संबंध में अपने सुझाव 15 अप्रैल, 95 तक संचालक, संस्थागत वित्त को पहुँचा सकें, तो यथासंभव उन्हें मार्गदर्शी में सम्मिलित करने का प्रयास किया जावेगा।

9/ ब्रिस्क द्वारा प्रारूप 9 का परीक्षण के बाद पात्रतानुसार प्रोत्साहन राशि का संबंधित राजस्व अधिकारी को भुगतान का अनुमोदन किया जाएगा। संचालनालय संस्थागत वित्त का नामांकित अधिकारी बैंक चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान करेगा।

10/ कृप्या आपके जिले में कार्यरत समस्त राजस्व अधिकारियों (विशेषत: सभी तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए इस नवीन प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें। यदि क्रियान्यवन की प्रक्रिया बाबद किसी प्रकार का स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो इस संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त कया जावे । कृप्या की गई कार्रवाई से इस संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(राजन कटोच)
संचालक,
संस्थागत वित्त, म०प्र०

पृ०क्रमांक: वसूली/नप्र/107/संविसं/95/625 भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 95

परिशिष्ट

बैको की सूची (पेरा 3 के अनुसार)

1	कारपोरेशन बैंक	Corporation Bank
2	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	State Bank Of India
3	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	Union Bank Of India
4	बैंक ऑफ इण्डिया	Bank Of India
5	पंजाब नेशनल बैंक	Punjab National Bank
6	देना बैंक	Dena Bank
7	बैंक ऑफ बड़ोदा	Bank Of Barodda
8	विजया बैंक	Vijaya Bank
9	इलाहाबाद बैंक	Allahabad Bank
10	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	State Bank of Travancore
11	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	State Bank of India
12	सिंडीकेट बैंक	Syndicate Bank
13	सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया	Central Bank Of India
14	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	Bank Of Maharastra
15	केनरा बैंक	Canera Bank
16	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	Orieantal Bank
17	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	United Bank Of India
18	यूको बैंक	Uco Bank